मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

कृषि के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शन की दर आधी हुई
सरकार ने अपना वचन पूरा किया
गत वर्ष की तुलना में पचास फीसदी से भी कम हुई अस्थायी कनेक्शन की दर

जबलपुर, 22 अक्टूबर 2019,

अब प्रदेश के किसानों को कृषि कार्य के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शन प्राप्त करना बहुत सस्ता हो गया है। राज्य सरकार द्वारा कृषि कार्य के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शन में उर्जा प्रभार की दर को आधा कर दिया है। उर्जा प्रभार गत वर्ष की तुलना में पचास फीसदी कम किया गया है।

उर्जामंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने बताया है कि वर्ष 2019 में ग्रामीण क्षेत्र में भार 3 हार्स पावर के विद्युत कनेक्शन के लिए तीन माह की अवधि में मात्र 4654 रूपये उर्जा प्रभार तय किया गया है। शहरी क्षेत्र के लिए किसानों के लिए तीन माह की अवधि में भार 3 हार्स पावर के विद्युत कनेक्शन के लिए 5224 रूपये उर्जाप्रभार निर्धारित

किया गया है । उर्जामंत्री श्री सिंह ने बताया कि वर्ष 2018 में तीन माह की अवधि के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भार 3 हार्स पावर के विद्युत कनेक्शन के लिए किसानों को 7959 रूपये उर्जा प्रभार व शहरी क्षेत्र को 8953 रूपये उर्जा प्रभार देना होता था।

उर्जामंत्री श्री सिंह ने बताया है कि कि वर्ष 2019 में भार 5 हार्स पावर के विद्युत कनेक्शन के लिए तीन माह की अवधि में ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के लिए 7620 रूपये एवं शहरी क्षेत्र के किसानों के लिए 8571 रूपये उर्जा प्रभार निर्धारित किया गया है । श्री सिंह ने बताया कि वर्ष 2018 में ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को 13128 रूपये एवं शहरी क्षेत्र में किसानों को 14784 रूपये उर्जा प्रभार देना होता था।

इसी तरह अन्य भार के अस्थायी कृषि विद्युत कनेक्शन के लिए उर्जा प्रभार को पचास फीसदी कम किया गया है। सभी किसान भाईयों से अनुरोध है कि कृषि कार्य हेतु अस्थायी विद्युत कनेक्शन का उपयोग करें ।

समाचार क्रमांक:50

(के.पी.श्रीवास्तव)
जनसंपर्क अधिकारी